अनुदान संख्या 10 - कोयला मंत्रालय
GRANT No. 10 - MINISTRY OF COAL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted-		468,72,00	373,21,12	-95,50,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				95,38,03
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	30,00,00	146,83,00	146,69,33	-13,67
पूरक	Supplementary	116,83,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1416.00	1304.87	1295.95	-8.92
पु.	R.	-111.13			
मुख्य शीर्ष "2230"	Major Head "2230"				
श्रम तथा रोजगार	Labour and Employment				
मू.	O.	2870.00	2698.00	2698.00	..
पु.	R.	-172.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2803"	Major Head "2803"				
कोयला तथा लिग्नाइट	Coal and Lignite				
मू.	O.	37226.00	33331.10	33327.17	-3.93
पु.	R.	-3894.90			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5360.00	..	..	..
पु.	R.	-5360.00			

(I) ₹10418.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत छह मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2803" - "अन्य व्यय - पर्यावरणी उपाय और धसकन नियंत्रण" - ₹5058.00 लाख झरिया रानीगंज मास्टर प्लान लागू न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "कोयला और लिग्नाइट - अन्य व्यय"-

(i) "क्षेत्रीय समन्वेषण" - ₹760.00 लाख;

(ii) "पर्यावरणी उपाय और धसकन नियंत्रण" - ₹562.00 लाख;

(iii) "विस्तृत वेधन" - ₹1220.00 लाख ; और

(ख) "कोयला और लिग्नाइट - अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें" - ₹118.00 लाख ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कोयला कम्पनियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू की जाने वाली किसी भी स्कीम के अस्तित्व में न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹10418.00 lakhs remained wholly unutilised in six cases under the following major heads:-

(A) Major Head "2803" - "Other Expenditure - Environmental Measures and Subsidence Control" - ₹5058.00 lakhs - due to non-implementation of Jharia Raniganj Master Plan.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Coal and Lignite - Other Expenditure"-

(i) "Regional Exploration"- ₹760.00 lakhs;

(ii) "Environmental Measures and Subsidence Control"- ₹562.00 lakhs;

(iii) "Detailed Drilling" – ₹1220.00 lakhs; and

(b) "Coal and Lignite - Research and Development - Other Schemes"- ₹118.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-existence of any scheme for implementation in North Eastern Region by the Coal companies.

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - कोयला और लिग्नाइट - अन्य व्यय" - ₹2700.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कोयला मंत्रालय" के अंतर्गत ₹120.05 लाख की बचत (₹1416.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सा दावों के कम प्राप्त होने और अधिवक्ताओं से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम - श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा - कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998" के अंतर्गत ₹172.00 लाख की बचत (₹2870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावे प्राप्त न होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2803" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) "क्षेत्रीय समन्वेषण" - ₹183.00 लाख अधिक व्यय (₹6217.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) "विस्तृत वेधन" - ₹995.00 लाख का अधिक व्यय (₹9922.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. कोयला खान श्रमिक आवास तथा सामान्य कल्याण निधि:-

कोयला खान कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अधीन कोयला और कोक के प्रेषण पर लगाए गए उपकर की प्राप्तियां शीर्ष "0038" - संघ उत्पाद शुल्क" को जमा की जाती हैं तथा बजटीय आवंटन के माध्यम से कुछ राशि निधि को अंतरित कर दी जाती थी। यह अधिनियम 1 अक्तूबर, 1986 को निरस्त कर दिया गया, तथापि,

(c) "Tribal Area Sub Plan - Coal and Lignite - Other Expenditure"- ₹2700.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat - Ministry of Coal"- saving of ₹120.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1416.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and non-receipt of bills from advocates.

(III) Under Major Head "2230" - "Labour - Social Security for Labour - Coal Mines Pension Scheme, 1998" - saving of ₹172.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2870.00 lakhs) was due to non-receipt of claims and reduction of provision at revised estimates stage.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2803" - "Other Expenditure" - under the following heads:-

(I) "Regional Exploration" - excess of ₹183.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6217.00 lakhs); and

(II) "Detailed Drilling" - excess of ₹995.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9922.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisaiton on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund:-

The proceeds of cess levied on the despatch of Coal and Coke under Coal Mines Welfare Fund Act, 1947 are credited to the head "0038" "Union Excise Duties" and some amount out of it was being transferred to the fund through budgetary allocation.

संपूर्ण राशि भारत की समेकित निधि को अंतरित नहीं की गई थी।

The said Act has been repealed on 1st October, 1986, however, all the amounts were not transferred to Consolidated Fund of India.

वर्ष 2011-12 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

The Account of the fund for the year 2011-12 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening balance	2,66,79
प्राप्तियां	Receipts	..
अदायगियां	Payments	..
अंतशेष	Closing balance	2,66,79